

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 7.9.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अमन कुमार पिता-संजय कुमार ग्राम-न्यु मोबारकपुर चांदमारी रोड, देवी मंदिर पो०-दानापुर कैट थाना-शाहपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सत्तर हजार) स्वीकृत।
2	विरेंद्र पासवान पिता-सुरेंद्र पासवान ग्राम-गंजपर पो०-तुंगी थाना-दीपनगर जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	चन्द्रकान्ती देवी पति-उमेश शर्मा ग्राम-अब्बुपुर पो०-सोरमपुर थाना-जानीपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	रिंकु देवी पति-पिन्दु पासवान ग्राम-नदियावा पो०-धनगावा, थाना-काको जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
5	सोनु कुमार पिता-रामनाथ पासवान ग्राम-बाहरी बेगमपुर पासवान टोला, पो०-बेगमपुर थाना-बाईपास जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

मा. 11/3/16

6	वजीर हसन पिता-स्व. नबी हसन ग्राम-फाजीलपुर पोस्ट+थाना-हुसैनगंज जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,70,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,70,000/- (चार लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~211084~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~211084~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1366 (14)

पटना, दिनांक - 19-9-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
16/9/16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में ,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 07.09.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आदित्य कुमार पिता-ओम प्रकाश प्रसाद ग्राम-जैय नगर पो०-जुआफर थाना-छौड़ा दानो जिला-पूर्वी चम्पारण इस्टीमीटन०-2016068	कोकलीयर इम्प्लान्ट रोग	₹ 4,65,000 /- (चार लाख पैंसठ हजार ) स्वीकृत।
2	शैलेन्द्र कुमार यादव पिता-स्व. सकलदेव यादव ग्राम-गढीया लोहार पो०-रसलपुर थाना-नवहट्टा जिला-सहरसा यू.एचआईडी-101935192	कुल्हा रोग	₹ 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,15,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,15,000 /- (छः लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 211089 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।

31/11/17  
19/9/11

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ६११०८१ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0 /-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1369 (14)

पटना, दिनांक - 19-9-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / डा.शमीम अहमद, स0वि0स0 पता-ग्राम खैरवा, पो0-बेलाचमही थाना-छौड़ादानो जिला-पूर्वी चम्पारण/ सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११/११/१६  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
१६/११/१६

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक  
सर सुन्दर लाल हौस्पिटल  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 7.9.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुमेश्वर सिंह पिता-स्व. महेश सिंह ग्राम+पो0-बी0 कैथी थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास एमआरडीनं0-328131	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-( अस्सी हजार ) स्वीकृत।
2	नन्द बिहारी पिता-स्व. परमानन्द साह ग्राम-मसहा पो0-सिरौना थाना-शिकारगंज जिला-पूर्वी चम्पारण एमआरडीनं0-68412	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-( अस्सी हजार ) स्वीकृत।
3	अनिरुद्ध नाथ त्रिपाठी पिता-बबुलन नाथ त्रिपाठी ग्राम-विशुनपुरवा पो0-बी0बी0 बनकटवा थाना-बथुवरीया जिला-प0 चम्पारण ओ0पी0डीनं0-2071 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-( अस्सी हजार ) स्वीकृत।
4	रुकमीना देवी पति-रामप्रवेश राम ग्राम-अगरेर पो0-खरारी, थाना-अगरेज जिला-रोहतास एमआरडीनं0-426229	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-( एक लाख ) स्वीकृत।

20/11/16  
14/9/16

5	विभा पाण्डेय पति-अनुज पाण्डेय ग्राम-मित्रसेनपुर पो0-अम्बा थाना-कुटुम्बा जिला-रोहतास एमआरडीनं0-431334 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /- ( एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,65,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,65,000 /- ( चार लाख पैंसठ हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 211088 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 211088 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

पटना, दिनांक

ह0 / -

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1358 14

पटना, दिनांक - 19-9-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों/आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21/9/16

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 7.9.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राजेश्वर चौबे पिता-स्व. बहादुर चौबे ग्राम-बहीलवारा खोरमपुर पो०-बहीलवारा रूपनाथ थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-( साठ हजार ) स्वीकृत।
2	गुडिया सिंह पति-अजित कुमार ग्राम-धावन पो०-दुरगडीह थाना-विक्रमगंज जिला-रोहतास	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-( साठ हजार ) स्वीकृत।
3	सुरेश प्रसाद सिंह पिता-गया प्रसाद सिंह ग्राम-बहादुरपुर अमरौली पो०-अख्तियारपुर खजुरी थाना-घटहो जिला-समस्तीपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-( साठ हजार ) स्वीकृत।
4	कृष्णा प्रसाद पिता-श्रवण प्रसाद ग्राम-लाल बाजार नोनीया टोली, पो०+थाना-बेतिया जिला-प० चम्पारण	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-( साठ हजार ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,40,000 /-

21/11/17  
19/11/17

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/-(दो लाख चालीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 211082 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 211082 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1373 (14)

पटना, दिनांक - 19-9-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/16  
19/9/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
16/9/16



प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक / निदेशक

किदवई मेमोरियल इंस्टीच्युट आफ आनकॉलौजी,  
बंगलौर, कर्नाटक - 560029

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 7.9.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	वीणा कुमारी पति-योगेन्द्र प्रसाद ठाकुर ग्राम-पताहीरूप पो०-पताही थाना-सदर जिला-मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - ( अस्सी हजार ) स्वीकृत।
2	सुजल कुमार पिता-अजय कुमार भारती ग्राम-पो०+थाना-बेलहर जिला-बांका	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - ( अस्सी हजार ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,60,000 / -

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000 / - ( एक लाख साठ हजार ) रुपया का क्रास चेक सं०..

..... 211090 ..... मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह० / -

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1371 (14)

पटना, दिनांक - 19-9-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री गिरिधारी यादव, स.वि०स०  
पता-बी 3/14 राजवंशी नगर पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21-9-16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,  
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 7.9.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	भुषण साव पिता-स्व० लीला साव ग्राम-अलावलपुर पो०+थाना-पुनपुन जिला-पटना	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- ( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
2	पप्पु कुमार पिता-जय नन्दन पासवान ग्राम-चन्दौल पो०-सिहुली थाना-रफीगंज जिला औरंगाबाद	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,50,000/- ( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
3	शांति देवी पति-रमेश प्रसाद ग्राम-डा० टोली वार्ड नं०-7 पो०+थाना-मोकामा जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- ( साठ हजार ) स्वीकृत।
4	रामानन्द सिंह पिता-बासुकी सिंह ग्राम-अकबरपुर पुरानीडीह पो०-अकबरपुर थाना-सोम्हो अकहा कुरहा पी.एस, जिला-बेगुसराय	कैंसर रोग	₹ 60,000/- ( साठ हजार ) स्वीकृत।
5	रेणु देवी पति-अजय चौधरी ग्राम-मौजमाबाद पो०-नारायणपुर थाना-विहपुर जिला-भागलपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- ( साठ हजार ) स्वीकृत।

31/12/19  
19/9/18

6	सुधा शाही पति-युगल किशोर शाही ग्राम+पो0-प्रताप टांड थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- ( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत ।
7	जावेद सिकन्दर पिता-अब्दुल मन्नान ग्राम-आजोचक पो0-महमुदा थाना-खुदागंज जिला नालंदा	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000/- ( एक लाख ) स्वीकृत ।
8	गीता देवी पति-मिथलेश कुमार गुप्ता ग्राम-पो0-दाउदपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000/- ( एक लाख ) स्वीकृत ।
			कुल ₹ 8,30,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,30,000/- (आठ लाख तीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 211083.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110002528 खाता धारक का नाम-"एम्स, पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 211083.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1370 (14)

पटना, दिनांक - 19-9-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों/आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/16  
19/9/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 7.9.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विनय बहादुर सिंह पिता-हरिहर सिंह ग्राम-गंगामहल नियर भारत सेवाश्रम, पो0-गया थाना-सिविल लाईन जिला-गया सीआरनं0-2015254815	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- ( दो लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
2	विशाल कुमार पिता-शंभु राय ग्राम-पो0-अमृतपुर थाना+जिला-वैशाली सीआरनं0-2016359018	यकृत रोग	₹ 50,000/- ( पचास हजार ) स्वीकृत।
3	आशुतोष नारायण मिश्र पिता-रामनाथ मिश्र ग्राम+पो0-उमापुर थाना-भगवानपुर जिला-भभुआ, कैमुर सीआरनं0-2014818455	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- ( दो लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
4	राम स्वरूप पिता-स्व. नन्द किशोर सिंह ग्राम-नवाडीह पो0-सोनौरा थाना-माली जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-2011668131	कैंसर रोग	₹ 80,000/- ( अस्सी हजार ) स्वीकृत।

21/11/17  
[Signature]

5	सरफराज आलम पिता-आशिक अली ग्राम-बंगारी पो0-बसन्त थाना-गरखा जिला-सारण सीआरनं0-2015387085	सर्जरी रोग	₹ 40,000 /-( चालीस हजार ) स्वीकृत ।
6	विजय बहादुर सिंह पिता-स्व. सीता राम सिंह ग्राम-पो0-खीरी थाना-राजपुर जिला-बक्सर सीआरनं0-2016637860	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-( एक लाख ) स्वीकृत ।
7	राम सागर सिंह पिता-बंगाली सिंह ग्राम-सादीपुर पो0-मानपुरा थाना-बंगरा जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-2016199945	फेफड़ा रोग	₹ 40,000 /-( चालीस हजार ) स्वीकृत ।
			कुल ₹ 8,10,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,10,000 /-( आठ लाख दस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 211091 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 211091 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

21/11/13  
[Handwritten Signature]

ह0 /-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1372 (14)

पटना, दिनांक - 19-9-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री संतोष कुमार निराला मंत्री अनु0जाअनु. जन. क0 विभाग एम/23 स्टैंड रोड नेताजी सुभाष मार्ग पटना 15 / सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मि. 10/HR/19/9/16-  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21. 10. 16

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०  
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 7.9.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुकन यादव पिता-राम खेलावन यादव ग्राम-भरीया विशनपुर पो०-विशनपुर थाना-राजनगर जिला-मधुबनी	हिप रिप्लेसमेंट रोग	₹ 1,50,000/- ( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
2	बेबी करुणा पिता- अभिषेक ठाकुर ग्राम-पो०-कामता थाना-बनियापुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- ( एक लाख ) स्वीकृत।
3	अशोक साव पिता-स्व. गोविन्द साव ग्राम-फतेहपुर पो०-सिनवा, थाना-परवलपुर जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- ( एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
4	केदार चौधरी पिता-स्व. बेलास चौधरी ग्राम-पो०-कैथी थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- ( एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
5	नीलम देवी पति-श्री राजो पंडित ग्राम+पो०-बलवापर थाना-सारे जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,20,000/- ( एक लाख बीस हजार ) स्वीकृत।
6	परवीन जहां पति-मो० कमाल हसन ग्राम-बरवा शेख पो०-बेलवा मोड़, थाना-लौरिया, जिला-प०चम्पारण	हृदय रोग	₹ 48,000/- ( अड़तालीस हजार ) स्वीकृत।

31/11/16

7	पंकज कुमार राय पिता-रामायण राय ग्राम-सेमरिया नयका टोला पो0+थाना-रिविलगंज जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
8	देवेन्द्र सिंह पिता-स्व. बाबु लाल सिंह ग्राम-कोईरी बीगहा पो0-जट डुमरी थाना-पुनपुन, जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
9	महादेव प्रसाद पिता-राम उग्रह प्रसाद ग्राम-जक्कनपुर लखन महतो फ्लैट, पो0-जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला-पटना	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000 /-( एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
10	रंजन साहु पिता-टेंगर साह ग्राम-ठोरी पाण्डेयपुर पो0-थाना-मुरार जिला-बक्सर	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-( एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
11	पप्पु कुमार पिता-राजेन्द्र महतो ग्राम-लरकवा पो0-बसबीटा थाना-मजोरगंज जिला-सीतामढ़ी	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-( एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,93,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ ₹ 13,93,000 /-(तेरह लाख तिरानवे हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 211081.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त



(unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....211081.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक - 1368 (14)

पटना, दिनांक - 19-9-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वा स्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में ) / श्री रण कौशल प्रताप सिंह, पूर्व स.वि०स०/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/11/16  
19/9/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
16/9/16

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०  
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.9.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विनय मिस्त्री पिता-कलटु मिस्त्री ग्राम-टिकरी मोहल्ला पो०+थाना+जिला-औरंगाबाद	स्पाईन सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	छोटे राम पिता-रमेश राम ग्राम-पो०+थाना-तेलमर जिला-नालंदा	स्पाईन सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	अनिल कुमार पिता-राम खेलावन ग्राम-मेनरोड वारसलीगंज पो०+थाना-वारसलीगंज जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	मणीकान्त सिंह पिता-स्व. बासकी प्र० सिंह ग्राम-आजाद नगर पो०-सबलपुर थाना-पंजवारा ओ०पी० जिला बांका	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
5	मोदिसन खातुन पति-मो० मुतुर्जा मियाँ ग्राम-बनवारी अमनौर पो०-रीठ थाना-एकमा जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
6	दिनेश यादव पिता-भोगीलाल यादव ग्राम-हरिपुर तिनकोणवा पो०-हरिपुर कला थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

23/9/16

7	शकुन्तला देवी पति-नुनलाल यादव ग्राम+पो0-तमुआ थाना-छातापुर जिला-सुपौल	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
8	रीना देवी पति-योगीन्द्र साह ग्राम-महमदपुर पो0-बहादुरपुर थाना-बडहरीया जिला-सिवान	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अडतालीस हजार) स्वीकृत।
9	सुन्दरम कुमार पिता-अविनाश कुमार ग्राम-सेठना पो0-सलौन्जा, थाना-हलसी जिला-लखीसराय	पेट रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,76,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ ₹ 7,76,000/- (सात लाख छीयहतर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 211281 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद )

निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 211281 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक 1389(14)

पटना, दिनांक 23.09.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.10.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
आस्था लोक हॉस्पिटल,  
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय  
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की 07.9.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शिना खातुन पति/पिता-मो० जमाल ग्राम-चक्रहंसी पो०-पाण्डेयपट्टी थाना-मुफसिल जिला-बक्सर	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,00,000 /-( एक लाख ) स्वीकृत।
2	रधिया देवी पति-पुरषोतम ओझा ग्राम+पो०-कल्पा थाना+जिला-जहानाबाद	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,00,000 /-( एक लाख ) स्वीकृत।
3	संतोष कुशवाहा पिता-धर्मन्द्र कुशवाहा ग्राम+पो०-रसुलपुर थाना-अमनौर जिला-सारण	नी रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000 /-( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
4	रवि कुमार पिता-चन्द्रशेखर प्रसाद ग्राम-सीरपतपुर पो०-बैरिया थाना-गोपालपुर जिला-पटना	नी रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000 /-( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
5	सखिया देवी पति-शिव पुजन मंडल ग्राम-लक्ष्मपुर पो०-दौलतपुर थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर, आरा	नी रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000 /-( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।

19/9/16

6	दिलिप सिन्हा पिता-गोपाल सिन्हा ग्राम+पो0-गहरूण थाना-तरारी जिला-भोजपुर	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- ( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
7	नेपाली चौरसीया पिता-स्व.गनौरी चौरसीया ग्राम-छतरवार पो0-कोनन्दपुर थाना-पकरी बरामा जिला-नवादा	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,00,000/- ( एक लाख ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 9,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,00,000/- (नौ लाख ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 211280.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- शाख प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 211280 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 19-9-16

ज्ञापांक - 137 4 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
16/9/16